न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20 / 2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कम्भू पुत्र बाबूलाल
2. खातूनी पुत्री बाबूलाल
3. बल्या पुत्र बाबूलाल
4. मदीना पुत्री बाबूलाल
5. रामजीलाल पुत्र छोटू
6. विमला पुत्री बाबूलाल
7. सुभाष पुत्र बाबूलाल
8. सुरेश पुत्र बाबूलाल

समस्त जाति भांड निवासी ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 20.12.2004 जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल को वाके ग्राम बिवाई में खसरा नम्बर 1258 / 1094 रकबा 0.25 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 29.08.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थीगण के पिता बाबूलाल को भूमि खसरा नम्बर 1258 / 1094 रकबा 0.25 है. भूमि दिनांक 20.12.2004 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 27.02.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 के खाता संख्या 306 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का बिवाई एवं गिरदावर क्षेत्र बिवाई से संयुक्त रूप से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया गया। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को बार—बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही जवाब पेश किया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17.12.2004 को बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान छोटु निवासी ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा को खसरा नम्बर 1094 में 0.25 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 27.02.2005 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1258 / 1094 आवंटी बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान छोटु के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। आवंटी बाबूलाल के फौत हो जाने पर बाबूलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 371 के द्वारा बाबूलाल के वारिसान कम्भू, खातूनी, बल्या, मदीना, विमला, सुभाष, सुरेश के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई। जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 306 पर अप्रार्थीगण का नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 के अनुसार मौके पर गैरखातेदारान की कब्जा नहीं है। आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ आवंटी को भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटी का आवंटनशुदा भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी द्वारा कोई काश्त की गई। अप्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि पर मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने से उक्त आवंटन दिनांक 20.12.2004 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार दिनांक 17.12.2004 को आवंटी बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान छोटु निवासी ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा को खसरा नम्बर 1094 में से 0.25 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 27.02.2005 आंवटी बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान छोटु के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। बाबूलाल के फौत हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 306 पर अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 अंकित किया गया है। जबकि पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का बिवाई की रिपोर्ट में दिनांक 20.08.2019 अंकित है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना व्यक्त करते हुये आवंटी का आवंटन आदेश दिनांक 20.12.2004 निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जबकि पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश के अनुसार आवंटी बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान छोटु को दिनांक 17.12.2004 में उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ भूमि आवंटन किया जाना किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी के द्वारा कोई काश्त की गई। उक्त कथन के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने सम्बन्धित गिरदावरी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है। आवंटन के 18 वर्ष बाद खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–2076 पेश की गई है। आवंटन की शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात दो वर्ष की अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है तथा तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित आवंटन आदेश दिनांक एवं संलग्न मूल आवंटन पत्रावली में अंकित आवंटन दिनांक में भिन्नता होने, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक एवं संलग्न मूल रिपोर्ट में अंकित दिनांक में भिन्नता होने तथा पर्याप्त खसरा गिरादावरी पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र 14(4) इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में पुनः जांच कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भूमि आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात् अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का से प्रश्नगत आवंटित भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त कर यदि तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पाया जाता हो तो अपेक्षित दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र [illegible] पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। मूल आवंटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति [illegible] जाकर तहसीलदार बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official